



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2017/ आषाढ 1, 1939

No. 245]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2017/ ASADHA 1, 1939

jk"Vh; v/; ki d f'k{kk i fj"kn-

vf/kl puk

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

Qk- l a 9&21@2016@jkvf'ki @LFkki uk—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ओ) तथा धारा 20 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियों की स्थापना, स्थान तथा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी) (संशोधन) विनियम, 2017, इस प्रतिबंध से पहले किए गए कार्य अथवा जिन्हें छोड़ दिया गया, इनके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है:

1. (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियों की स्थापना, स्थान तथा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र) विनियम, 2017 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को लागू होंगे।

2. क्षेत्रीय समितियों का स्थान और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र निम्नानुसार होगा :

Ø-l a	{ks=h; l fefr dk uke	LFkku	{ks=h; vf/kdkj {ks=
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पूर्वी क्षेत्रीय समिति	दिल्ली	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय समिति	दिल्ली	छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
3.	उत्तरी क्षेत्रीय समिति	दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली
4.	दक्षिणी क्षेत्रीय समिति	दिल्ली	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी

संजय अवस्थी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन— III / 4 / असा. / 121 / 17]

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2017

**F.No. 9-21/2016/NCTE/Estt.**—In exercise of the powers conferred under clause (o) of sub-section (2) of Section 32 and sub-section (7) of Section 20 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Establishment, Location and Territorial Jurisdiction of the Regional Committees) (Amendment) Regulations, 2017, except as things done or omitted to be done before such supersession, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Establishment, Location and Territorial Jurisdiction of the Regional Committees) Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. The location and territorial jurisdiction of the Regional Committees shall be as follows:

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of the Regional Committee</b>	<b>Location</b>	<b>Territorial Jurisdiction</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Eastern Regional Committee	Delhi	Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura and West Bengal
2.	Western Regional Committee	Delhi	Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
3.	Northern Regional Committee	Delhi	Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chandigarh and Delhi
4.	Southern Regional Committee	Delhi	Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Puducherry and Kerala

SANJAY AWASTHI, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./121/17]